

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

लक्ष्मी खतवे

वनाम

दुर्गा सिंह

C.E. No. 18.10.13
b
20/11/13
H-A.

पि.सं. 425 दि. 11-9-13
के द्वारा नया निश्चित
13-11-13
प्र.सं. 420

वाद संख्या-05/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

18.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा गौड़ा मानसिंह थाना नं०-415 तौजी नं०-12643 वर्तमान अंचल गौड़ामानसिंह जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहददी
430 पु०	452 पु०	3 कटठा	उ०-प्रतिवादी द०-ठक्को पासवान पु०-पिताम्बर खतवे प०-रहमत कुजरा

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि जो की मद नं० 01 में दर्ज है। आवेदक को बजरिये निबंधित केवाला विक्रेता श्री बालेश्वर सिंह पिता स्व० हृदय नारायण सिंह साकिन मौजे गौड़ामानसिंह से दिनांक 01.05.1982 को हासिल किये तथा शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि क्रय करने के पश्चात अंचल अमलाओं ने दाखिल खारिज कर आवेदक के नाम जमाबंदी संख्या 09 कायम कर दिये। आवेदक अद्यतन सरकारी राजस्व रसीद अदा कर रेन्ट रसीद प्राप्त करते आ रहे है। प्रश्नगत भूमि विक्रेता का मरौसी साविक खतियानी भूमि है जो उनके खास हिस्से की भूमि थी जिसकी उचित जरसीमन पाकर विक्रेता ने अपने जीवन काल में विक्रेता ने आवेदक के हाथ विक्रय किये तथा क्रेता

को दखल कब्जा सौंप दिये जिसका सत्यापन निबंधित दस्तावेज संख्या 5247 दिनांक 01.05.1982 के अवलोकन एवं स्थलीय जाँच से स्पष्ट होगा। वादी का आगे कहना है कि विपक्षी प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष आपस में सह हिस्सेदार (फरीकैन) है फलतः सर्वे अमलाओं द्वारा भूलवश हाल खतियान का प्रकाशन विपक्षी के नाम हो गया है।

वही दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि वादी के द्वारा कुल 4 व्यक्तियों को प्रतिवादी बनया गया है और मात्र 01 रकवा वो चौहद्दी का उल्लेख किया गया है मॉग रकवा भिन्न है इस प्रकार उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया है। वादी को किस प्रतिवादी से कितना रकवा किस चौहद्दी के अनुसार चाहिए इसका उल्लेख वाद पत्र में नहीं है। वादी के द्वारा कार्यवाही भूमि को बजरिये निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त बताया गया है जबकि प्रतिवादी की कार्यवाही की भूमि भूमि मरौसी भूमि है और प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय नहीं किया गया है एसी परिस्थिति में वादी का केवाला वैध है कि नहीं इसका निर्धारण मात्र व्यवहार न्यायालय ही कर सकता है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० नं०-3041/12 बासमती देवी वनाम अंजु कुमारी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार व्यवहार न्यायालय में परने वाला मॉग है, जो श्री मान के न्यायालय में मिला है। कार्यवाही की भूमि प्रतिवादीगण की मरौसी सम्पत्ति है जो प्रतिवादीगण को आपसी बटवारा के द्वारा दिनांक 11.06.78 ई० को प्राप्त है, जिसमें कार्यवाही की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में मिला जिस पर जिस पर प्रतिवादीगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा वो उपयोग में चला आ रहा है। कार्यवाही भूमि का दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी प्रतिवादीगणों के नाम से कायम है जिसके राजस्व की अदायगी बिहार सरकार को अद्यतन किया जा रहा है। वैध वो सक्षम साक्ष्य पाकर सर्वेयर ने हाल सर्वे के दरम्यान प्रतिवादीगणों के नाम से हाल खतियान का प्रकाशन हुआ। वादी को अगर उक्त भूमि के स्वामित्व पर कोई आपत्ति था तो हाल खतियान का प्रकाशन 1994 ई० में हुआ जिसके विरुद्ध 90 दिनों के भीतर सक्षम बन्दोबस्त पदाधिकारी कु० स्थान के न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था जो नहीं किया अतः वादी का यह वाद पत्र लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानानुसार कालबाधित है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा तिलकेश्वर सिंह बनाम बिहार सरकार के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आदेश/निर्देश दिये कि कालबाधित मामले में खतियान का सुधार नहीं हो सकता है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त है। जिसका वाद संख्या-301/2001-02 से दाखिल खारिज कराते हुए जमाबंदी संख्या 9 वादी के नाम

से कायम की गयी एवं अद्यतन लगान रसीद वर्ष 2010-11 तक निर्गत है। वादी द्वारा केवाला, लगान रसीद, सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी एवं पुराना खतियान की छायाप्रति संलग्न की गयी है। संलग्न किये गये सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी के विक्रेता वालेश्वर प्रसाद सिंह एवं उनके भाई महेश्वरी प्रसाद सिंह के नाम से जमाबंदी कायम होने एवं रकवा 08-18-19 होने की बात कही गयी है। प्रतिवादी द्वारा मरौसी भूमि होने का दावा किया गया है परंतु उक्त भूमि का पुराना खतियान प्रतिवादी के नाम से नहीं है। लिखित बहस में हाल खतियान प्रतिवादी के नाम होने की बात कही गयी है परंतु पुराने खेसरा 452 से बना नया खेसरा 187 के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर हाल खतियान की प्रविष्टि का सत्यापन किया जा सके कि यह वही खेसरा है जो 452 से बना है। प्रतिवादी द्वारा लगान रसीद की प्रति संलग्न की गयी है जो कि 92-93 का ही है जबकि वादी का लगान रसीद 11-12 का है। प्रतिवादी द्वारा आपसी बँटवारे की बात कही गयी है परंतु उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी का केवाला संदिग्ध एवं अवैध बताया गया है इस परिस्थिति में प्रतिवादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उक्त अवलोकन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी का दावा सही है। अतः वादी के दावा को संपुष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

कार्यालय बिरौल - 12 दिनांक 11.2.14 को द्वारा कठित आदेश के
आदेशों के अन्वय में हेतु लिखा गया।